न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 67 / 2024
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 11.11.2024 **निर्णय दिनांक :** 15.05.2025

उनवान

1. भैरूलाल पिता सुरेश आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती अनु पत्नि सुरेश निवासी गोरेला कुआ हाल पिता मांगीलाल निवासी राजसमन्द भीलमगरा, तहसील आमेट, जिला
2. मनीषा पुत्री सुरेश आयु 9 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती अनु पत्नि सुरेश निवासी गोरेला कुआ हाल पिता मांगीलाल निवासी राजसमन्द भीलमगरा, तहसील आमेट, जिला
3. अनु पत्नि सुरेश आयु 32 वर्ष निवासी – गोरेला कुआ हाल पिता मांगीलाल निवासी भीलमगरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द जरिये संरक्षक माता

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. सुरेशचन्द्र पिता स्व. रतन उर्फ रतना निवासी गोरेला कुआ, तहसील सरदारगढ, जिला राजसमन्द
2. शिवलाल पिता स्व. रतन उर्फ रतना निवासी गोरेला कुआ, तहसील सरदारगढ, जिला राजसमन्द
3. ललिता पुत्री स्व. रतन उर्फ रतना निवासी गोरेला कुआ, तहसील सरदारगढ, जिला राजसमन्द हाल पत्नि शंकरजी निवासी – भीलमगरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द
4. मांगीबाई पत्नि स्व. रतन उर्फ रतना निवासी गोरेला कुआ, तहसील सरदारगढ, जिला राजसमन्द
5. तहसीलदार सरदारगढ, जिला राजसमन्द जरिये राज्य सरकार

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता धर्मेश शर्मा
विपक्षी संख्या 01,03,04 की ओर से :– अधिवक्ता संदीप वैष्णव

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव गोलेराकुआं पटवार हल्का ओलनाखेड़ा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गलवा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या नया 153 पुराना 11 के आराजी नम्बर

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

1001/314, 1003/317, 1006/318, 975/329, 984/328, 990/444, 996/311, 998/312, 999/313 कुल किता 09 रकबा 0.9080 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 171 पुराना 11 के आराजी नम्बर 336 कुल किता 01 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 11 पुराना 07 के आराजी नम्बर 440, 977/315, 985/316 कुल किता 03 रकबा 0.0870 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 156 पुराना 11 के आराजी नम्बर 978/315 कुल किता 01 रकबा 0.0200 हैक्टेयर है।

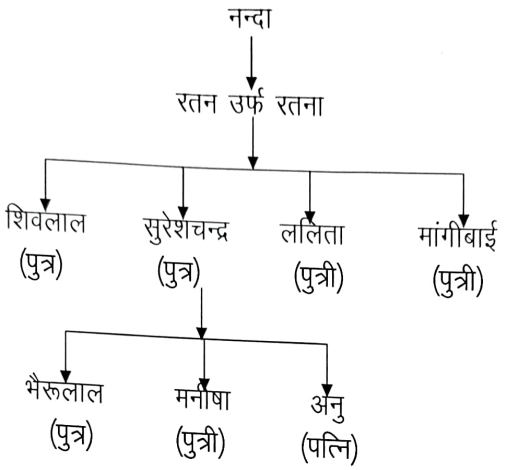

रतन उर्फ रतना के दो पुत्र कमशः शिवलाल एवं सुरेशचन्द्रएवं एक पुत्री ललिता व पत्नि मांगीबाई हैं। सुरेशचन्द्र के एक पुत्र एवं एक पुत्री कमशः भैरूलाल, मनीषा एवं पत्नि अनुदेवी हैं। रतन उर्फ रतना जी के निधन के पश्चात वादग्रस्त जमीन विपक्षी संख्या 01 से 04 शिवलाल, सुरेशचन्द्र, ललिता व मांगीबाई के नाम पर विधिक वारिसान होनें से जरिये नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 22.08.2024 के विरासत के आधार पर प्राप्त हुई। वादग्रस्त जमीन पुश्तैनी (पैतृक) जमीन हैं, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार हैं, जो प्रार्थीगण प्राप्त करनें के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 जाति से (माली) हिन्दू होकर के हिन्दू धर्म से शासित हैं। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के हक अधिकार हिन्दू विधि के अनुसार हैं, जिसमें प्रार्थीगण को अपने पुर्वाधिकारी से प्राप्त पैतृक जमीन में जन्म से हक अधिकार प्राप्त हैं। वादग्रस्त जायदाद संयुक्त परिवार की अविभाजित जायदाद होनें से प्रार्थीगण उक्त भूमि में सहदायिक की हैसियत से मौके पर काबिज होकर के उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादग्रस्त जायदाद हिन्दू परिवार की संयुक्त अविभाजित जायदाद हैं, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार हैं। कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में से जुज भाग प्रार्थीगण की बिना सहमति, बिना स्वीकृति के विपक्षीगण को विक्रय करनें का कोई अधिकार नहीं हैं। वादग्रस्त जायदाद में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 का समान हक अधिकार हैं। संयुक्त रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग करते हैं। वादग्रस्त जायदाद संयुक्त हैं। राजस्व रेकार्ड में भी एवं मौके पर भी अविभाजित हैं। अविभाजित संयुक्त हक अधिकार वाली पैतृक जायदाद को विपक्षीगण को विक्रय करनें का

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
जपखण्ड अधिकारी आमेट

कोई अधिकार नहीं हैं। वादग्रस्त जायदाद को विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 जमीन को किसी भी प्रकार से रहन, बय, बक्षीस, बेचान या अन्य प्रकार से अंतरण कर खुर्द बुर्द कर सकते हैं। विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद पुश्तैनी जायदाद होनें से किसी भी प्रकार से अंतरण करनें का कोई हक अधिकार नहीं हैं। गलत व अवैध रूप से तथ्यों को छुपाते हुए विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 बिना पारिवारिक आवश्यकता, बिना संयुक्त परिवार की सहमति के नाबालिगों के हितो के विपरीत संयुक्त परिवार की पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि जमीन को अवैध रूप से प्रार्थीगण के हक अधिकार को नुकसान पहुंचाने की गरज से विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 प्रार्थीगण नुकसान पहुंचानें की गरज से अंतरण कर सकते हैं जिसके लिये वादग्रस्त पुश्तैनी कृषि भूमि की प्रार्थीगण के पक्ष में घोषणा कराया जाना आवश्यक हैं अन्यथा कई प्रकार की पेचिदगियां उत्पन्न होगी एवं प्रार्थीगण अपने हक अधिकारो से महरूम हो जायेंगे। उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 का पुर्वाधिकारी रतना जी के हिस्से में से वारिसान होनें से 1/4 –1/4 हिस्सा हैं। विपक्षी संख्या 01 के 1/4 हिस्से में प्रार्थीगण का हिस्सा हैं। विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 को उक्त भूमि अपने पिता रतना जी से प्राप्त हुई हैं। रतना जी को उक्त भूमि अपने पिताजी नन्दा जी से विरासत में प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 को उक्त भूमि अपने पुर्वाधिकारी पिता रतना जी के निधन के पश्चात प्राप्त हुई हैं। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होकर के पैतृक हैं। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार हैं। प्रार्थीगण अपने हक अधिकार की भूमि में से अपना हिस्सा प्राप्त करनें के अधिकारी हैं। विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 को इस बात की जानकारी होनें की उक्त जमीन पुश्तैनी हैं, जिसमें प्रार्थीगण का भी हक अधिकार हैं, फिर भी विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 प्रार्थीगण को उनका हिस्सा देनें के लिये तैयार नहीं हैं। प्रार्थीगण को पैतृक कृषि भूमि से बेदखल करनें व भूमि को खुर्द– बुर्द एवं बेचान करनें पर आमादा हैं। प्रार्थीगण का उक्त भूमि में जन्म से हक अधिकार हैं। विपक्षीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द एवं बेचान करनें का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 2 तक नाबालिग हैं, उनके संरक्षण के लिये उनके हित की रक्षा के लिये जरिये संरक्षक माता प्रार्थी संख्या 03 द्वारा यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी संख्या 01 से 02 की माता को जरिये संरक्षक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें का पुरा पुरा अधिकार हैं। विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 बहुत हीं शातिर हैं, पैसे वाले हैं। उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान करनें पर आमादा हैं, जिससे प्रार्थीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, मुकदमेंबाजी बढ जायेगी एवं मौके पर लड़ाई झगड़ा करनें पर भी विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 आमादा हैं। इसके लिये विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 के विरूद्ध एवं प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हैं अन्यथा प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। प्रार्थीगण अपने हक अधिकार से वंचित हो जायेंगे। इसके लिये विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नहीं करे, मौके की स्थिति को परिवर्तित नहीं करे। उक्त कृत्य न तो विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 स्वयं करे एवं न हीं अपने किसी नौकर, चाकर, रिश्तेदार आदि के जरिये करावे। विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो गया हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जानें की स्थिति में प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होनें की पुरी पुरी सम्भावना हैं, जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना सम्भव नहीं हैं। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनें के अधिकारी हैं। जिस निमित्त यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा के अभाव में विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द – बुर्द व बेचान करनें पर आमादा हैं, जिसकी धमकियां प्रार्थीगण को खुले तौर पर दी जा रही हैं। अभी अन्तिम मर्तबा दिनांक 07.08.2024 को विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करनें व सम्पूर्ण जमीन को विक्रय करनें की धमकी दी गई। जिससे मजबुर हो प्रार्थीगण को वादग्रस्त पैतृक कृषि भूमि में निहित अपने हक अधिकारो की सुरक्षा के लिये यह घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया हैं एवं यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में हैं, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं एवं अपुरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होने वाली हैं, जिसकी पूर्ति अर्थ में भी सम्भव नही हैं ऐसे में प्रार्थना पत्र के तीनों आवश्यक बिन्दु जो प्रार्थीगण के पक्ष में होने से विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाकर प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01, 02, 03 व 04 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि का वाद के अन्तिम निस्तारण तक विपक्षीगण वादग्रस्त कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, तोड़फोड़ नहीं करे, नुकसान कारित नही करे, अन्य किसी को रहन, बय, बक्षीस या बेचान नहीं करे, मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। उक्त कृत्य विपक्षीगण न तो स्वयं करे, न हीं अपने किसी नौकर, चाकर, परिजन, रिश्तेदार या एजेन्ट आदि के माध्यम से करावे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध जारी फरमाई जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01,03,04 की तरफ से अधिवक्ता संदीप वैष्णव ने मूल वाद मे वकालत नामा पेश किया। दिनांक 15.05.2025 को विपक्षी संख्या 01, 02, 03, 04 की तरफ से कोई उपस्थित नही, न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित जिससे विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व गांव गोलेराकुआं पटवार हल्का ओलनाखेड़ा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गलवा तहसील सरदारगढ, जिला राजसमन्द में खाता संख्या नया 153 पुराना 11 के आराजी नम्बर 1001/314, 1003/317, 1006/318, 975/329, 984/328,

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी आमेट

990/444, 996/311, 998/312, 999/313 कुल किता 09 रकबा 0.9080 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 171 पुराना 11 के आराजी नम्बर 336 कुल किता 01 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 11 पुराना 07 के आराजी नम्बर 440, 977/315, 985/316 कुल किता 03 रकबा 0.0870 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 156 पुराना 11 के आराजी नम्बर 978/315 कुल किता 01 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण प्रकरण संख्या 106/2024 रे. वाद के निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **15.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)